राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/459

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	292/24	18/12/24	~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ 8/1/25	7/1/25 8/1/25

अनवान

श्री चुन्नीलाल पुत्र लालु ……… श्री भंवरलाल पुत्र हेमीचन्द

निवासी बिजौलिया ……… निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट ……… अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार ……… मदयून

श्री M.K.D. ……… श्री

मुकेश धाकड़

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलिया जिला भीलवाड़ा**

चुन्नीलाल बनाम भंवरलाल

किस्म मुकदमा धारा 111-128 नम्बर 292 सन **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/24	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जाँच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 07/01/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
7/1/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 8/1/25 को वास्ते उ-आदेश पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
8/1/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 292/24

तारीख दायर 18/12/24

चुन्नीलाल पुत्र लालु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र हौक्मीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बाली देवी पत्नि प्रभुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नरेश कुमार पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 08/01/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजोलियांखुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम बिजोलियांखुर्द पटवार हल्का बिजोलियांखुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 206 पर अंकित आराजी संख्या 1749/171 रकबा 0.3480 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.3480 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

आज्ञा से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 292/24 तारीख दायर 18/12/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....292..................../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

चुन्नीलाल पुत्र लालु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र हौक्मीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बाली देवी पत्नि प्रभुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नरेश कुमार पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम** बिजोलियांखुर्द **पटवार हल्का** बिजोलियांखुर्द **तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 206 पर अंकित आराजी संख्या 1749/171 रकबा 0.3480 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.3480 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बिजोलियांखुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा